

2/21/2022

तारीख रजु

मनोज

बनाम

सुबहसिंह वगैरा

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामिल
में जारी हुए

28.07.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 2324, 2325, 2341, 2308, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225, 2227, 2228, 2229, 2231, 2232, 2233, 2289, 2290, 2291, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, वाके ग्राम बंगन का नगला तहसील कठुमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 12.08.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 12.08.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठुमर (अलवर)

124812

हुकम बंदीकेन उप०/P.O.
दिनांक 26/07/2022
तलबबी दिनांक 7/10/22
ने पेश हो।

आपके नाम के साथ
आपकी विधि 20/5/19
को देव हो।

20/5/24 परावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई वकील प्रती
ने प्रार्थना - पत्र पेश कर अपने मूल वाद को डली
स्टेज पर खारिज करा कि मी हो अतः प्रती के
प्रार्थना - पत्र अस्वीकार जनागे जाने का कोई आशय
नहीं है अतः परावली प्रती को प्रार्थना अस्वीकार
हुई लेज पर खारिज किया जाता है परावली
प्रारम्भ हुआ और वही मजिस्ट्रेट को दोन मूल वाद
के साथ सौंप देता हुना

S. D. G. ^{Prakash}
उपस्थित अधिकारी
कटकर (अजमेर)

~~मना~~
D. S. G.